सेवा में,

दिनांक ११.२.२०१४

आयुक्त महोदय ,

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,

SR- 6

राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली सरकार ,

"के " ब्लाक विकास भवन आई.पी. एस्टेट ,

नई दिल्ली ११०००२ |

विषय :- मार्जिन मनी

प्रस्ताव :- मार्जिन मनी के तय न होने के कारण ड्राफ्ट की पूँजी में ह्रास होना आदि |

श्रीं मान,

आज हम उचित दर विक्रेता आपके प्रांगण में उपरोक्त विषय एवं प्रस्ताव के संदर्भ में सामूहिक रूप में निम्न वर्णित निवेदन करने के साथ साथ तार्किक न्याय की आशा करतें हैं |

१. जैसा कि आप भली प्रकार जानतें हैं कि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एक्ट, २०१३ के अंतर्गत हम उचित दर विक्रेता विभागीय अधिकारीयों के मोखिक आश्वासन पर कार्यरत हैं कि मार्जिन मनी सरकार द्वारा दी जायेगी और हमारी जानकारी के मुताबिक आज तक मार्जिन मनी का निर्धारण नही किया | इसके साथ साथ PDS सिस्टम को चलाने के किये आवश्यक आर्थिक सामंजस्य के लिए दुकान के खर्चों एवं अपनी आजीवका के प्रति एक वास्तविक अनुरोध विभाग इसके साथ साथ PDS सिस्टम को चलाने के किये आवश्यक आर्थिक सामंजस्य के लिए दुकान के वास्तविक खर्चों एवं अपनी आजीवका के प्रति एक अनुरोध विभाग के समक्ष दिनांक ३ अक्टूबर २०१३ को प्रस्तुत किया |
२. यह कि पत्र संख्या F.16(9)/CFS (D)/2008/P.F/2706 Dated 25-10-2013 के द्वारा हमे सूचित किया गया कि चुनाव आचार सहिंता के कारण हम मार्जिन मनी का रिविजन नहीं कर सकते और चुनाव सहिंता के कारण हमने भी इस विषय पर समय अनुसार अनुपालन किया|
३. यह की हमने अपने सामूहिक पत्रांक दिनांक ५ दिसम्बर २०१४ के पैरा ८ मे इसका जिक्र किया है कि इस नए एक्ट में मर्जीन मनी के निर्धारण कि नए सिरे से आवश्यकता है क्योकिं राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एक्ट-२०१३ एक नया सिस्टम है और हम १६ वर्ष पुराने रेट पर कार्यरत हैं जोकि नोंतेक्कता एवं व्यापर चलन के आर्थिक आधार के विरूद्ध हैं को दिया और तत्कालीन आयुक्त महोदय श्री एस.एस.यादव ने हमे ब्रीफ नोट दिया जिसके पेज संख्या 75/N पर स्पष्ट है की यह रेट ०१ जून १९९७ से लागू हैं और प्रष्ट 76/N का प्रथम पैरा भी पुरानी दरों में विभाग द्वारा की गयी उदासीनता को स्वयम मान रही है |
४. यह कि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एक्ट के नियम २२ जो कि अध्याय VIII(4)(d) एवं नियम २३ की विभाग द्वारा अनदेखी करने के साथ साथ सविधान में वर्णित Article 23 के बचाव में मार्जिन मनी को बढ़ाने का जिक्र करके राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा एक्ट २०१३ को अनदेखा किया है जिसका मूल कारण यह है कि दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने अपने राजनैतिक कारणों के चलते जल्दबाजी में किया और इसको राष्ट्रिय खाद्य

11/2/14

सुरक्षा बिल २०१३ के नाम से परिभाषित किया | इसी कारण अधिकारिगर्ण पुराने रेटों का जिक्र कर जनवरी २०१४ से अतार्किक रूप से १/-रू. प्रति किलो की दर से मार्जिन मनी देने की अनुसंशा करना चाहते है जिससे की इस महगाई में दुकान के खर्चे निकलना ही सम्भव होगा हमारी आजिविका के लिए कुछ भी नहीं है , इसी संदर्भ में यह कहना नितांत आवश्यक है कि यह भी हमारे साथ बेमानी है कि जब अभी तक विभाग ने मार्जिन मनी जारी ही नही कि तो फिर जनवरी से प्रस्तावित क्यों ?|

५. यह कि विभाग की उदासीनता के कारण, जबकि चुनाव आचार सहिंता ४ दिसम्बर को समाप्त हो गयी तो इस मर्गिन मनी के प्रस्ताव पर एक माह का अतिरिक्त **विलम्ब क्यों?** |

६. यह कि लगभग एक सप्ताह के बाद पुनः चुनाव आचार **सहिंता लागू होने कि पूर्णतया सम्भावना है** जिसे कारण जून -जुलाई २०१४ से पूर्व मार्जिन मनी मिलने की सम्भावना क्षीर्ण है ऐसे हालत में दुकानों के खर्चो की वजह से जोकि लगभग २५०००/ - से ३००००/ रू. तक हैं के कारण पूर्णतया पूँजी रहित हो जायेंगे इससे स्पष्ट है कि हम धनाभाव के कारण मार्च का अग्रिम ड्राफ्ट बिना किसी सहायता राशि के लगाना असम्भव है , या विभाग बकाया AAY की मार्जिन मनी का भुगतान दे कर धन की व्यवस्था करे |

७. यह कि आपने अपने नोट में कहीं भी हमारे प्रस्ताव २.८० रू. प्रतिकिलो का न तो खंडन किया है और न ही जिक्र किया है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभाग हमारी व्यथा को जानबूझ कर अतार्किक अनदेखी कर किन्ही अद्रश्य कारणों से जानबूझ कर उदासीन है जोकि चिन्तिनीय है |

८. आपने कुछ अतिरिक्त वस्तुओं को बेचने के लिए जो सिफारिश की है वः अतार्किक है क्योकि दुकान के मोजूदा क्षेत्रफल में खाद्य सामिग्री का समंजस्य होना ही एक समस्या होने के साथ साथ धूल और मिटटी जो कि गेहूं का अभिनय अंग है की मोजूदगी में रखना ,और बेचना असम्भव है |

श्रीमान जी आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारी समस्यायों के निष्पादन हेतु हमारे द्वारा पूर्व में दिए गए प्रस्तावों को सम्मिलित कर पुनर्विचार कर इस पी.डी.एस. प्रणाली को चलाने के साथ साथ हमारी कार्य शेली पर शक कि उन्ग्लियाँ उठने से रोकने एवं ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक कार्य करने में सहायता करें क्योकि एक रूपये प्रति किलो की दर से भविष्य में कार्य करना असम्भव है आपके बिना ठोस आश्वासन के बिना हम अपने सोत्रों से धन की व्यवस्था नहीं करेंगे और ऐसा करना स्वभाविक रूप में अनेतिक है |

निवेदक

(शिवकुमार गर्ग)

(B. M. GUPTA)
SECY

अध्यक्ष Mob No. 9212567435

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ,दिल्ली प्रदेश |

दिल्ली |